| |
|---|
| दिनांक 23.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 393/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की पुलिस महानिरीक्षक एस0एस0बी0 से शिष्टाचार भेंट**

**श्री राजीव कृष्ण** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 23.07.2026 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक एस0एस0बी0 श्रीमती मीनू चौधरी द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये।

मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और एस0एस0बी0 के मध्य समन्वय बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के इण्डो नेपाल बार्डर पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभावी गश्त, चेकिंग एवं पेट्रोलिंग के सम्बन्ध के सम्मिलित प्रयास की रणनीति तथा सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी।

| |
|---|
| दिनांक 23.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 394/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड</u>**

- **फर्जी कॉल सेंटर के मास्टर माइंड सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 02 राउटर व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2026 को थाना विभूतिखण्ड व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर CY–VAJRA के तहत साइबर हाइट बिल्डिंग, चतुर्थ तल, फ्लैट संख्या 420ए, जलवा बार के पास से फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1–सूरज 2–विवेक 3–राहुल 4–आकाश अरूण उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 18 लाख 50 हजार रूपये नगद, 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 02 राउटर व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो टेलिग्राम पर कॉल सेंटर से सम्बन्धित समूह से जुड़कर, तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफार्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–सूरज निवासी ग्राम संग्रामगंज थाना देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

2–विवेक

3–राहुल

4–आकाश अरूण उर्फ रिक्की निवासी नाला सुपरा वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र।

**<u>बरामदगी</u>**

1–18 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 02 राउटर व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि।

**जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.07.2026 को थाना बिलासपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवीन मण्डी जीरो प्वाइट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर बहादुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना बिलासपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–वीर बहादुर निवासी ग्राम खाता चिंतामन थाना मिलक जनपद रामपुर।

- **जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत **अभियुक्त मुकेश को मृत्युदण्ड व 01 लाख रूपये** अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनिल कुमार 2–राकेश कुमार 3–अरूण कुमार को कठोर आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना सिरसाकलार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5एम/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जीतू को आजीवन कारावास व 01 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना खेसरहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना खेसरहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अब्दुल 2–असलम को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जहांगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छंग्गा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना मेंहदावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–केवल उर्फ रामकेवल 2–नागेन्द्र 3–राजेश को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।